Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

९२८

अस्पृश्यता-निवारण कानून

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

अस्पृश्यता - निवारण कानून

अर्थात्

अस्पृश्यता (अपराध) कानून

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक पर ८ मई को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् भारत-सरकार ने जनसाधारण की जानकारी के लिए उसे अपने असाधारण गजट में प्रकाशित किया, और केन्द्रीय सरकार ने इस कानून की धारा १ (३) में दिये अधिकार के अनुसार गत २३ मई को "असाधारण गजट" द्वारा इस कानून को १ जून, १९५५ से सारे भारत में लागू कर दिया।

"अस्पृश्यता" के आचरण व उससे उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करने तथा उससे सम्बन्धित दूसरे विषयों के लिए दण्ड-विधान करना इस कानून का उद्देश्य है।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

भारत के संविधान ने अपने १७वें अनुच्छेद द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि—

"अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।" और यह भी, कि "अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा।"

इस प्रकार हमारे संविधान ने अस्पृश्यता का अन्त कर दिया। विधान-परिषद् का ऐसा करना प्रथम कर्त्तव्य था।

१९३२ के सितम्बर मास में जब गांधीजी ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये साम्प्रदायिक निर्णय के उस अंश के विरुद्ध ऐतिहासिक अनशन यरवदा-जेल में किया, जिसमें कि परिगणित जातियों को पृथक् चुनाव द्वारा हिन्दू-समाज से अलग कर दिया जानेवाला था, तब उस अनशन के परिणाम-स्वरूप यरवदा-पेक्ट बनते ही यह निश्चय कर लिया गया कि स्वतंत्र भारत अपने संविधान में अस्पृश्यता को किसी भी रूप में स्थान नहीं देगा। विधान-परिषद् के इतिहास में वह दिन चिर-स्मरणीय रहेगा, जिस

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

दिन कि उसने अस्पृश्यता का विधान द्वारा अन्त कर दिया।

इससे भी पहले, स्वतंत्रता प्राप्त होते ही, कई राज्यों ने विविध अस्पृश्यता-निवारण कानून पास किये। १९४७ से १९५० तक विभिन्न राज्यों में ऐसे २१ कानून पास हुए, जिनका उद्देश्य हरिजनों की नागरिक एवं सामाजिक निर्योग्यताएँ दूर करना था। विभिन्न राज्यों में चूँकि किसी कदर भिन्न परिस्थितियाँ होने के कारण इन कानूनों में एकरूपता स्वभावतः नहीं आ सकी और किसी-किसी अदालत ने उन कानूनों में कभी-कभी कोई-न-कोई त्रुटि भी ढूँढ़ निकाली, इसलिए भी यह जरूरी हो गया कि संविधान के १५वें और १७वें अनुच्छेदों पर अमल कराने के लिए एक ऐसा कानून संसद पास करे, जो सारे भारत पर एक समान लागू हो सके। दो साल पहले इस कानून का मसविदा लोकमत जानने के लिए घुमाया गया था फिर लोक-सभा में वह पेश हुआ। उसके बाद संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर-समिति को संशोधनार्थ

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

वह बिल भेज दिया गया। प्रवर-समिति ने गैरसरकारी संस्थाओं से भी उनका मत जानने के लिए गवाही ली। इसके पश्चात् संशोधन में यह विधेयक लोक-सभा में विचारार्थ आया, और पास होकर कानून के रूप में परिणत हो गया।

इस अस्पृश्यता (अपराध) कानून में आये हुए शब्दों की परिभाषाएँ इसकी धारा (२) में इस प्रकार दी गई हैं—

जबतक कि संदर्भ का अभिप्राय दूसरा न हो, इस कानून में—

(अ) 'होटल' में जलपान-गृह, बोर्डिंग हाऊस (भोजनगृह) विश्रामगृह, काफीगृह और केफे शामिल हैं ;

(आ) 'स्थान' में मकान, इमारत, तम्बू और किश्ती या जहाज शामिल हैं ;

(इ) 'सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान' में ऐसा कोई भी स्थान शामिल है, जहाँ जनसाधारण का प्रवेश है, और जिसमें मनोरंजन का आयोजन किया जाता है या होता है।

[स्पष्टीकरण किया गया है कि मनोरंजन में कोई प्रदर्शिनी, तमाशा, खेल, और आमोद का अन्य कोई भी प्रकार शामिल हैं।]

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

(ई) 'सार्वजनिक पूजा का स्थान' का ऐसे स्थान से आशय है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसका कि उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा के लिए किया जाता है, या जो सामान्यतः किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी पंथ के व्यक्तियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान के करने या उसमें प्रार्थना पूजा करने के लिए समर्पित कर दिया गया है, या वे लोग उस स्थान का उपयोग उपर्युक्त कार्यों के लिए करते हैं, और इसमें वे सब जमीनें और अधीन मन्दिर भी शामिल हैं, जो ऐसे स्थान से सम्बद्ध हैं ;

(उ) 'दूकान' का अर्थ है, ऐसा कोई स्थान जहाँ माल की बिक्री थोक या फुटकर (खुदरा) या दोनों ही रूप में होती है, और इसमें धोबी की दूकान, नाई की दूकान और ऐसा कोई भी अन्य स्थान आ जाता है, जहाँ पर ग्राहकों का काम पैसे लेकर किया जाता है।

कानून की धारा (३) में उस व्यक्ति को दण्डनीय ठहराया गया है, जो किसी को, अस्पृश्यता के आधार पर, सार्वजनिक पूजा के किसी स्थान में जाने, और वहाँ पूजा व प्रार्थना करने से, और किसी पवित्र तालाब, कुएँ व झरने आदि के पानी में किसी को नहाने से या उसका उपयोग करने से रोकता है। इस धारा द्वारा धार्मिक निर्योग्यताओं को लागू करने के लिए नीचे लिखे अनुसार दण्ड का विधान किया गया है—

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

(अ) सार्वजनिक पूजा के किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करने से जो कोई किसी व्यक्ति को, अस्पृश्यता के आधार पर, रोकता है, जो उस व्यक्ति के धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी एक पन्थ के अन्य अनुयायियों के लिए खुला हुआ है ;

(आ) सार्वजनिक पूजा के स्थान में उसी प्रकार पूजा करने या प्रार्थना करने अथवा दूसरा कोई धार्मिक अनुष्ठान करने या किसी पवित्र तालाब, कुएँ, झरने या नदी - नाले के पानी में उसी प्रकार नहाने से या उसका उपयोग करने से जो किसी को रोकता है, जिस प्रकार कि उस व्यक्ति के धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी पंथ के दूसरे अनुयायी उस स्थान में पूजा - अर्चा करते हैं, और उस तालाब आदि के पानी का उपयोग करते हैं, या उसमें नहाते हैं,—

उसे कैद का दण्ड दिया जायेगा, जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माना किया जायेगा, जो पाँच सौ रुपये तक होगा, या कैद और जुर्माना दोनों ही दण्ड दिये जायेंगे ।

[स्पष्टीकरण इसका इस प्रकार किया गया है कि इस धारा और चौथी धारा के लिए बौद्ध, सिख या जैनधर्म के अनुयायी अथवा हिन्दू - धर्म और उसके किसी भी सम्प्रदाय के अनुयायी—जिसमें वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्रह्मसमाजी, प्रार्थनासमाजी और

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

स्वामी नारायण सम्प्रदाय के अनुयायी भी शामिल हैं, हिन्दू माने जायेंगे ।]

और, सामाजिक निर्योग्यताओं को लागू करने के लिए निम्नलिखित धारा (४) में दण्ड का विधान किया गया है। यह धारा अधिक महत्त्व की है, कारण कि बहुधा हरिजनों के रास्ते में ज्यादातर सामाजिक रुकावटें ही आती हैं—

जो कोई "अस्पृश्यता" के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ—

(१) किसी दूकान, सार्वजनिक उपाहारगृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में जाने के बारे में ; या

(२) किसी सार्वजनिक उपाहारगृह, होटल, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने में जनसाधारण के उपयोग के लिए या उस व्यक्ति के धर्मानुयायियों या उसके धर्म - सम्प्रदाय या उसके किसी पंथ के अनुयायियों के उपयोग के लिए रखे गये बर्तनों तथा अन्य सामान के उपयोग के बारे में ; या

(३) किसी पेशे, उद्योग - धन्धे, रोजगार या व्यवसाय के करने ; या

(४) किसी ऐसी नदी, जल - धारा, झरना, कुओं, तालाब, कुण्ड नल या अन्य जलाशय या किसी ऐसे स्नान - घाट, कब्रस्तान या श्मशान - घाट, किसी स्वास्थ्यकर सुविधा, किसी सड़क या रास्ते या अन्य किसी ऐसे सार्वजनिक पड़ाव का उपयोग करने या वहाँ पर जाने, जिनके उपयोग का अधिकार उसके धर्म या धार्मिक

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

सम्प्रदाय या पंथ के दूसरे व्यक्तियों या जनसाधारण को है, अथवा वे वहाँ बिना किसी रोक - टोक के जाते हैं ; या

(५) किसी ऐसे स्थान के उपयोग या उस तक पहुँचने की स्वतंत्रता के बारे में, जिसका उपयोग सार्वजनिक या दातव्य कार्य के लिए किया जाता है और जिसका सारा या आंशिक खर्च सरकारी खजाने से दिया जाता है या जो स्थान जनसाधारण या उस व्यक्ति के धर्म या धर्म - सम्प्रदाय या उसके किसी पंथ के दूसरे अनुयायियों के उपयोग के लिए समर्पित कर दिया गया है ; या

(६) जनसाधारण या उस व्यक्ति के धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय या पंथ के दूसरे अनुयायियों के हित के लिए निर्मित दातव्य ट्रस्ट की किसी सुविधा के उपभोग के बारे में ; या

(७) किसी सार्वजनिक सवारी के उपयोग या उस तक जाने के बारे में ; या

(८) किसी बस्ती में रिहायशी मकान बनाने, प्राप्त करने या उसपर कब्जा करने के बारे में ; या

(९) किसी ऐसी धर्मशाला, सराय अथवा मुसाफिरखाने के उपयोग के बारे में, जो जनसाधारण या उस व्यक्ति के धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी पंथ के दूसरे लोगों के लिए खुले हुए हैं ; या

(१०) किसी सामाजिक या धार्मिक विधि या समारोह या रीति - रिवाज के मनाने या किसी धार्मिक जलूस में भाग लेने के बारे में ; या

(११) विशेष आभूषणों और वस्त्रों के उपयोग के बारे में

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

किसी निर्योग्यता को लागू करता है, उसे कैद का दण्ड दिया जायेगा, जो छः मास तक का होगा, या जुर्माना किया जायेगा, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों ही दण्ड दिये जायेंगे।

इसी प्रकार, उस व्यक्ति को धारा (५) द्वारा अपराधी और दण्डनीय ठहराया गया है जो किसी को, अस्पृश्यता के आधार पर, अस्पतालों, शिक्षा-संस्थाओं इत्यादि में भर्ती करने से इन्कार करता है। धारा (५) इस प्रकार है—

"अस्पृश्यता" के आधार पर जो कोई—

(अ) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अस्पताल, दवाखाना, शिक्षा - संस्था या उससे सम्बन्धित किसी छात्रावास में दाखिल करने से इन्कार करता है, जो अस्पताल, दवाखाना, शिक्षा - संस्था या छात्रावास जनसाधारण या उसके किसी भाग के हितार्थ स्थापित किया गया, अथवा चलाया जा रहा है ; या

(आ) उपर्युक्त संस्थाओं में दाखिल करने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति भेद - भावपूर्ण व्यवहार करता है ;

तो उसे कैद का दण्ड दिया जायेगा, जो छः मास तक का हो सकता है, या जुर्माना किया जायेगा, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों ही दण्ड दिये जायेंगे।

धारा (६) के अनुसार उस व्यक्ति को दण्ड दिया जा सकेगा, जो किसी को "अस्पृश्यता" के आधार पर

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

कोई चीज बेचने से, या उसका कोई काम करने से इन्कार करता है। यह धारा इस प्रकार है--

जो किसी व्यक्ति को "अस्पृश्यता" के आधार पर कोई चीज उस स्थान पर, उस समय, और उतने ही भाव पर बेचने या उन्हीं शर्तों पर उसका कोई काम करने से इन्कार करता है, जिस स्थान पर, जिस समय, जिस भाव पर वह चीज साधारणतया दूसरे व्यक्तियों को बेची जाती है, या जिन शर्तों या दामों पर उनका काम किया जाता है, उस व्यक्ति को कैद का दण्ड दिया जायेगा, जो छः मास तक का हो सकता है, या जुर्माना किया जायेगा, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों ही दण्ड दिये जायेंगे।

अस्पृश्यता - जनित अपराधों व बहिष्कार करने के लिए धारा (७) में दण्ड का विधान किया गया है; उसे नीचे दिया जाता है--

(१) जो कोई—

(अ) किसी व्यक्ति को संविधान के १७वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता खत्म की जाने के परिणामस्वरूप जो अधिकार मिला है, उसका उपयोग करने से रोकता है; या

(आ) किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार का उपयोग करते समय सताता है, क्षति पहुँचाता है, विक करता है, उस अधिकार का उपयोग करने से उसे रोकता या दूसरे व्यक्ति से रोकवाता या रोकवाने का

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

प्रयत्न करता है, या किसी व्यक्ति को इसलिए सताता है, क्षति पहुँचाता है, दिक करता है या उसका बहिष्कार करता है चूँकि उस व्यक्ति ने किसी ऐसे अधिकार का उपयोग किया है ; या

(इ) किसी व्यक्ति या किसी वर्ग या जनसाधारण को कथित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य चित्रों द्वारा अथवा अन्य किसी साधन के द्वारा किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करने को साधारणतया उभाड़ता है या बढ़ावा देता है, उसे कैद का दण्ड दिया जायेगा, जो छः मास तक का हो सकता है, या जुर्माना किया जायेगा, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों ही दण्ड दिये जायेंगे।

[स्पष्टीकरण इसका इस प्रकार किया गया है कि दूसरे का बहिष्कार करनेवाला वह व्यक्ति माना जायेगा, जो—]

(अ) ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई मकान किराये पर देने या उसे मकान या जमीन का उपयोग करने अथवा उसमें रहने या उसपर अधिकार करने की अनुमति देने से इन्कार करता है, या उसके साथ किसी प्रकार का ताल्लुक रखने से इन्कार करता है या उसका काम करने अथवा उससे काम कराने से इन्कार करता है, या उपर्युक्त कोई भी काम उन शर्तों पर करने से इन्कार करता है, जिन शर्तों पर कि ऐसे काम आम तौर पर किये जाते हैं ; या

(आ) ऐसे दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसे सामाजिक पेशे - धन्धे या व्यावसायिक संबंध रखना छोड़ देता है, जो वह उस व्यक्ति के साथ साधारणतया रखता।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

(२) जो कोई—

(१) अपनी जाति या उसके किसी भाग के व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित करता है, जिसका कि वह व्यक्ति, उस जाति या उसके उस विभाग का सदस्य होने के नाते, अधिकारी है ; या

(२) किसी व्यक्ति को जाति - बहिष्कृत करने में किसी भी प्रकार से इस आधार पर हिस्सा लेता है, चूंकि उस व्यक्ति ने अस्पृश्यता का आचरण करने से इन्कार कर दिया है या उस व्यक्ति ने इस कानून के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता दी है,

उसे कैद का दण्ड दिया जायेगा, जो छः मास तक का हो सकता है, या उस पर जुर्माना किया जायेगा, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों ही दण्ड दिये जायेंगे ।

विशेष मामलों में लायसेंसों को रद्द करने या रोक रखने का अधिकार अदालत को धारा (८) में दिया गया है, जो काफी महत्त्व की है । वह इस प्रकार है—

जो व्यक्ति धारा (६) के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया गया है, यदि उस पेशे, उद्योग - धन्धे या काम के बारे में, जिसके साथ उसके द्वारा किये गये अपराध का सम्बन्ध है, उस व्यक्ति के पास किसी भी कानून के मातहत, जो कि उस समय लागू है, लायसेंस है, तो वह अदालत जिसमें कि अभियुक्त पर मामला चल रहा हो उसके लायसेंस को रद्द करने या उतने

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

समय के लिए, जितना कि अदालत ठीक समझे, रोक रखने की हिदायत दे सकती है और इस प्रकार की हिदायत का उस दण्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो उस धारा के अधीन उसे दिया जा सकता है, तथा उस अदालत की हरेक उस आज्ञा, जिसके द्वारा लायसेंस रद्द कर दिया जायेगा या कुछ समय के लिए रोक रखा जायेगा, वैसा ही असर पड़ेगा, मानों वह आज्ञा ऐसे किसी भी कानून के अधीन लायसेंस रद्द करने या उसे कुछ समय के लिए रोक रखने के उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी की गई है।

धारा (९) सरकार को यह अधिकार देती है कि--

यदि सार्वजनिक पूजा के स्थान का मैनेजर या ट्रस्टी, जिस स्थान के लिए सरकार से अनुदान के रूप में जमीन मिली हो या आर्थिक सहायता मिलती हो, इस कानून के अधीन अपराध का दोषी साबित हुआ है और अपील या पुनर्विचार करने पर भी उसके अपराध का निराकरण या निवारण नहीं होता है, तो सरकार, यदि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह जरूरी समझे तो ऐसे अनुदान को, पूरे या आंशिक रूप में, कुछ समय के लिए रोक रखने या वापस ले लेने का निर्देश जारी कर सकती है।

धारा (१०) में उस व्यक्ति को, जो इस कानून के अधीन किसी अपराध को उत्तेजन देगा, वही दण्ड उस अपराध के लिए दिया जायेगा, जो कि उसके लिए नियत किया गया है।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

धारा (११) में अनुवर्ती (फिर-फिर) अपराधों के लिए इस प्रकार दण्ड का विधान किया गया है—

जो व्यक्ति इस कानून के अधीन एक बार अपराध करने या अपराध को उत्तेजन देने के लिए दोषी पाया जा चुका है, यदि वह फिर वैसा ही अपराध करने या उसे उत्तेजन देने का दोषी पाया जायेगा, तो उसे ऐसे हर अनुवर्ती अपराध के लिए, कैद और जुर्माना दोनों का ही दण्ड दिया जायेगा।

धारा (१२) यह स्पष्ट करती है—

संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२४) में दी गई परिभाषा के अनुसार जो अनुसूचित जातियाँ हैं, उनके किसी सदस्य के प्रति जब कभी कोई ऐसा कार्य किया जायेगा, जो इस कानून के अधीन एक अपराध है, तो अदालत, जबतक कि उसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये, यह मान लेगी कि वह कार्य अस्पृश्यता के कारण किया गया है।

इस कानून की धारा (१३) दीवानी अदालतों के अधिकार-क्षेत्र की मर्यादा को नीचे लिखे प्रकार स्पष्ट करती है—

(१) कोई भी दीवानी अदालत कोई भी ऐसे मुकद्दमे हाथ में नहीं लेगी, या ऐसे मुकद्दमें या कार्यवाही को जारी नहीं रखेगी या ऐसी डिग्री या आदेश जारी नहीं करेगी, या किसी ऐसी डिग्री या आदेश को पूरे या आंशिक रूप में कार्यान्वित नहीं करेगी,

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

यदि उस मुकद्दमे या कार्यवाही में किया गया दावा या उस डिग्री या आदेश का जारी करना या उनका कार्यान्वित करना इस कानून की धाराओं के विरुद्ध हो।

तथा, (२) कोई भी अदालत किसी मामले पर फैसला देते समय या कोई डिग्री या आदेश कार्यान्वित करते समय किसी भी ऐसे रीति - रिवाज या प्रथा को मान्य नहीं करेगी, जिसके फलस्वरूप अस्पृश्यता के कारण किसी व्यक्ति पर कोई निर्योग्यता लागू होती हो।

धारा (१४) कम्पनियों द्वारा किये गये अपराध के बारे में स्पष्टीकरण करती है, और हरेक ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराती है जो अपराध किये जाने के समय कंपनी का इन्चार्ज था, और कंपनी का कारोबार चलाने के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था।

और यदि इस कानून के अधीन कोई अपराध डायरेक्टर या मैनेजर, सेक्रेटरी या कंपनी के दूसरे अधिकारी की स्वीकृति से किया गया हो, तो बड़े डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या दूसरा अधिकारी भी दोषी ठहराया जा सकता है, और दण्ड दिया जा सकता है।

कंपनी के अन्तर्गत अनेक व्यक्तियों का मण्डल (असोसियेशन) या व्यवसाय - संघ (फर्म) भी शामिल हैं।

धारा (१५) द्वारा इस कानून के अधीन हरेक अपराध को 'हस्तक्षेप्य' (कॉग्निजेबल) माना गया है,

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

जो महत्त्व की बात है। यदि ऐसे अपराधों को 'हस्तक्षेप्य' न माना जाता, तो गरीब हरिजनों के हक में यह कानून बहुत सहायक नहीं हो सकता था।

इसी धारा में यह भी आता है कि "अदालत की अनुमति से हरेक ऐसे अपराध का फैसला दोनों पक्ष आपसी समझौते द्वारा कर सकते हैं।"

कानून की धारा (१६) कम महत्त्व की नहीं है, जो स्पष्ट करती है कि—

> बावजूद कानून की कोई बात या कोई रिवाज या चलन या किसी ऐसे कानून के कारण लागू आदेश, या किसी अदालत या किसी अधिकारी का कोई आदेश या डिग्री इस कानून की धाराओं से भिन्न है, उन हालतों के सिवा, जिनके लिए इस कानून में स्पष्टरूप से दूसरी व्यवस्था की गई है, अन्य सब परिस्थितियों में इस कानून की धाराएँ लागू होंगी।

अस्पृश्यता (अपराध) कानून की अंतिम धारा (१७) द्वारा विभिन्न राज्यों के बनाये कानून उस हद तक रद्द कर दिये गये हैं, जहाँ तक कि वे या उनकी कोई धारा इस कानून की किसी धारा के साथ मेल खाती है, या उसके विरुद्ध जाती है।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

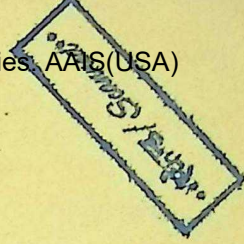

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

प्रकाशक

बिहार हरिजन सेवक संघ

पटना